भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 14 सितम्बर, 2016

संख्या का०आ० 32/ के०अ० 2/1899/धा0 9/2016.– भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी, 2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 में वर्णित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए भूमि के लिए किराया/पटटा अभिलेख के पंजीकरण हेतु मैगावाट पैमाने की परियोजनाओं पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–ए के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क माफ करते हैं। पॉलिसी कार्यान्वयन की तिथि से पांच वर्ष के लिए लागू रहेगी और पांच वर्ष के बाद सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी।

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Order

The 14th September, 2016

No. S.O. 32/C.A. 2/1899/S. 9/2016.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby remits whole of the stamp duty chargeable under article 35 of Schedule 1-A of the said Act on the projects of Mega Watt scale for execution and registration of instrument of lease/rent of the land for setting up of the projects mentioned in the Haryana Solar Power Policy, 2016, dated the 14th March, 2016. The policy shall be in force for five years from the date of its implementation and shall be reviewed after five years by the Government.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 14 सितम्बर, 2016

संख्या का0आ0 33/के0अ0 16/1908/धा0 78 तथा 79/2016.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 78 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ036/के0अ016/1908/धा0 78 तथा 79/1966, दिनांक 7 फरवरी, 1966 में, हरियाणा राज्यार्थ, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

पंजाब सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 36/के0अ0 16/1908/धा0 78 तथा 79/1966, दिनांक 7 फरवरी, 1966 में, रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों से सम्बन्धित अनुच्छेद I में, खण्ड (3) में,

(i) अन्तिम परन्तुक के बाद, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि हरियाणा सोलर पॉवर पॉलिसी, 2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 में वर्णित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए भूमि के लिए किराया/पट्टा अभिलेख के पंजीकरण हेतु मेगावाट पैमाने की परियोजनाओं पर कोई पंजीकरण फीस प्रभार्य नहीं होगी। पॉलिसी इसके कार्यान्वयन की तिथि से पांच वर्ष के लिए लागू रहेगी और पांच वर्ष के बाद सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी ।"।

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Order

The 14th September, 2016

No. S.O. 33/C.A. 16/1908/Ss 78 and 79/2016.—In exercise of the powers conferred by sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby, makes the following amendment in the Punjab Government, Revenue Department, notification No. S.O. 36/C.A. 16/1908/sections 78 and 79/66, dated the 7th February, 1966, in the State of Haryana, namely:-

Amendment

In the Punjab Government, Revenue Department, notification No. S.O. 36/C.A.16/1908/sections 78 and 79/66, dated the 7th February, 1966, in Article I relating to registration of documents, in clause (3),

(i) after the last proviso for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that no registration fee shall be chargeable on the projects of Mega Watt scale for registration of rent/lease deed for the land for setting up of the projects mentioned in the Haryana Solar Power Policy, 2016 dated the 14th March, 2016. The policy shall be in force for five years from the date of its implementation and shall be reviewed after five years by the Government. ".

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

54642—L.R.—H.G.P., Chd.